

पत्रांक:- 27
सेवा में,

/18mg

दिनांक:- 2/1/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूडा इण्टर कालेज से कूल-बिरखन एवं सूड़ मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.458 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2682/FP/UK/ROAD/34350/2018 दिनांक 18.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/६७/२०१९/एफ०सी०/२८६ दिनांक ०९.०६.२०२० एवं अपर सचिव, वन अनुभाग-३, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक ६४४/(१)X-३-२०/१(१५)/२०१९ दिनांक १३.०८.२०२० द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

- १- शर्त संख्या-१, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- २- शर्त संख्या-२, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।
- ३- शर्त संख्या-३, प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) खण्ड द्वारा २.९१६ हैक्टेयर गैर वानिकी भूमि ग्राम अधौड़ा सिविल खसरा नं० २९२३ में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रु० ९,८३,२२९.०० (नौ लाख तिरासी हजार दो सौ उन्तीस मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक २३३८/कैश दिनांक ०२.११.२०२० द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर० टी०जी०एस०चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-०१ से ०२) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
- (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम अधौड़ा खसरा सं० २९२३ मध्ये २.९१६ हैक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण /हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक सं० ११०/१२-ज्येड.ए.सी./२०२० दिनांक ३१.०८.२०२० के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है। (संलग्नक-३ से ४)।
- (घ) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसमें हस्ताक्षर कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-५)

- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-06)
- 5- शर्त संख्या-05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि०पी०(सि०) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी०(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू० 12,32,010.00 (रू० बारह लाख बत्तीस हजार दस मात्र) की धनराशि 1.458 हैक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन०पी०बी० आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-06)
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-07)
- 6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 374 Tree and 252 Saplings कर तथा न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
- 7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में "State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II, approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that on further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission ".शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- शर्त संख्या-08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-06)
- 9- शर्त संख्या-09 के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों /वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में सी०डब्ल्यू०एल०डब्ल्यू०/एन०वी०डब्ल्यू०एल० /एफ०ए०सी० /आई०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास आवश्यक होगा तो कर लिया जायेगा।

- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक-08)
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- 16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
- 17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।
- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्त अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।
- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।
- 21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी मान्य है।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- 25- शर्त संख्या-25 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

26- शर्त संख्या-26 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। तीन-तीन हार्ड प्रतियां कुल 27 पृष्ठ।

भवदीय

अधिशपसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

पत्रांक:- 27 / 18mg

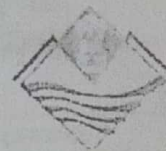
दिनांक:- 2/11/2021

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशपसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ : 05942 - 235079, 233764 Fax, 235079, Email: eecdnaainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:- 2338

दिनांक:- 2/11/2020

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषय:- बैंकर्स चैक संख्या 177916 दिनांक 31.10.2020 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत प्यूडा इण्टर कालेज से कुल-बिरखन एवं सूड मोटर मार्ग में एन0पी0वी0 आदि की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 2215239.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उनका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैंकर्स चैक सं0 177916 दिनांक 31.10.2020 रू0 2215239.00 (रू0 बाईस लाख पंद्रह हजार दौ सौ उनचालीस मात्र) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्न:- 1- बैंकर्स चैक संख्या 177916 दिनांक 31.10.2020 रू0 2215239.00 मूल में।
2- ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान- 03 प्रति में।

भवदीय

(~~डॉ~~ दीपक गुप्ता) 2/11/2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 02-11-2020

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6134350249
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/67/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	2215239/-

Amount in Words :Twenty-Two Lakh Fifteen Thousand Two Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896134350249 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 02-11-2020

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6134350249
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/67/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	2215239/-

Amount in Words :Twenty-Two Lakh Fifteen Thousand Two Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

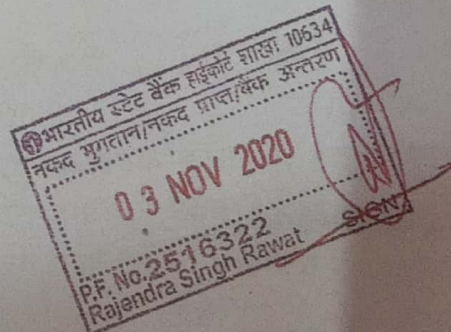
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896134350249 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.



SQ/N/20308194206

आदेश

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कालेज होते हुए कूल बिरखन सूड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल की कुल 5.296 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल के पत्र संख्या 261602/18 एम०जे० दिनांक 07-08-2020 के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अपने पत्र से अवगत कराया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०८बी०/यू०पी०सी०/०६/०७/२०१९/एफ०सी०/२८६ दिनांक एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2137 दिनांक 18-02-2020 निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के क्रम में क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या- 2173 / XVIII(II)/ 2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के अनुपालन में उपर्युक्त मोटरमार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार सिविल भूमि को चयनित कर तहसीलदार धारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 26-02-2016 के आधार पर ग्राम अधोड़ा पट्टी पदमपुर, तहसील धारी, जिला नैनीताल के नॉन०ज्येड०ए० खतौनी श्रेणी 9(3)ड अन्तर्गत खाता नम्बर 4757 के खसरा नम्बर 2923 मध्ये रकवा 5.296 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, धारी तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

(एस०एस० जंगपांगी
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

संलग्नक-3
01/09/2020

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 110/12-ज्येड०ए०सी०/2020

दिनांक 31/08/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी, धारी।
- 4- तहसीलदार धारी।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

संलग्न - 6

पुष्पा

परोक्ष वि

मी !

तः इस

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/34350/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34350/2018) Pura Inter college through Kool-Bir Khan-Sood motor road.	ROAD3435020182496134350249		09 Jun 2020	CA: 983229/- , Addl CA: 0/- PCA: 0/- , CAT: 0/- Safety: 0/- , Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 1232010/- , Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2215239/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 29 Jul 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 02 Nov 2020 On Transaction Date : 03 Nov 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7112912131213SAPDIPURA_DEMAND_NOTE_DT_29_07_2020.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD343502018249)
2	FP/UK/ROAD/33978/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33978/2018) construction of Ghughutiya Batai Ghat Khairna Suyalwadi Odakhan Pasiyapani hateliya Mukteshwar Motor Road No 62 Km 35 Proposed span of new bridge 60 mtr under section NDRP World Bank	ROAD3397820185696133978568		26 Dec 2019	CA: 0/- , Addl CA: 0/- PCA: 0/- , CAT: 0/- Safety: 0/- , Addl PA: 0/- Zone: 0/- NPV: 14454/- , Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 216682/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 17 Mar 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 14 Jul 2020 On Transaction Date : 14 Jul 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311712181212CA00Q0DemandNoteForest.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD339782018568)

Additional Attachment - 2.30

86

संलग्नक-7

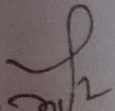
Additional Attachment - 2.30

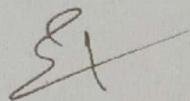
परियोजना का नाम — कूल विरखन से सूड़ होते हुए प्यूडा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

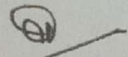
एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का

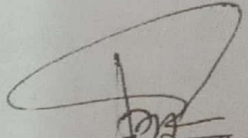
एन0पी0वी0 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि की जाती है तो उसे वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता (तृतीय)
नि0ख0लो0नि0वि0
नैनीताल


अधिसूची अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
नैनीताल

लाख
सौ बह
है।
अतः
पै
0